प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा)/ 2331 / 2012

..... याचिकाकर्ता **रमजीत साय**

बनाम

.... उत्तरवादीगण छ.ग. राज्य एवं अन्य

श्रीमती सुधा अग्रवाल, अधिवक्ता : याचिकाकर्ता की ओर से

श्री गैरी मुखोपाध्याय, पैनल अधिवक्ता : राज्य की ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक निर्णय

(26-04-2013 को पारित)

सुना गया।

2. पक्षकारों की सहमति से, प्रकरण को अंतिम रूप से सुना गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जारी वसूली पत्र दिनांक 15/02/12 (अनुलग्नक पी/1) की वैधता एवं औचित्य को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 को निर्देशित किया जाए कि वह पेंशन प्रकरण का निर्णय नियत समयावधि के भीतर शीघ्रतापूर्वक करे।

3. याचिका के निर्णय हेतु आवश्यक सुसंगत तथ्यात्मक स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 17/03/1964 को सहायक शिक्षक के पद पर की गई थी। अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ता ने लगभग 36 वर्षों की सेवा प्रदान करने के पश्चात दिनांक 31/03/2010 से सेवानिवृत्ति ग्रहण की। उसकी सेवानिवृत्ति के लगभग दो वर्ष पश्चात, दिनांक 15/02/2012 को आक्षेपित पत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा

याचिकाकर्ता को ₹2,24,899/- की राशि (अनुलग्नक पी/1) जमा करने का निर्देश दिया गया, यह कहते हुए कि सेवा पुस्तिका के परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि दिनांक 01/01/1986 से 31/03/2010 की अवधि के बीच उसे अधिक भुगतान किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वह एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी था तथा उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए गए वेतन निर्धारण के आधार पर उसे वेतन का भुगतान किया जाता रहा। यह भी निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता किसी प्रकार के कपट या मिथ्या दुर्व्यपदेशन का दोषी नहीं है। अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान, उसे विभिन्न वेतनमानों में वेतन प्राप्त होता रहा, जिन्हें उत्तरवादीगण द्वारा अपने ही समझ एवं वेतन तथा वेतनमान की गणना के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा। याचिकाकर्ता के पास यह विश्वास करने का कोई आधार नहीं था कि उसे जो भुगतान किया जा रहा है वह अधिक है अथवा वह उन भुगतानों का हकदार नहीं है। वेतन के समुचित निर्धारण के प्रति सद्भावनापूर्ण विश्वास के आधार पर, याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति वर्ष 1964 से सहायक शिक्षक के रूप में वेतन प्राप्त करता रहा, किन्तु उसकी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पश्चात, अचानक प्राधिकारियों द्वारा पुनः वेतन निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, वह भी वर्ष 1986 से। अतः वर्तमान प्रकरण असाधारण प्रकृति का है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक अल्प वेतनभोगी सहायक शिक्षक है तथा जो कुछ भी उसे उपदान, अर्जित अवकाश नगदीकरण आदि के रूप में प्राप्त होना था, वह समस्त राशि तथाकथित ₹2,24,899/- की भारी वसूली के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी। यह भी निवेदन किया गया कि उत्तरवादीगण की कार्यवाही बिना किसी सुनवाई का अवसर प्रदान किए की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्ष 1986 में वेतन निर्धारण के समय याचिकाकर्ता ₹1,150/- वेतन का हकदार था, किन्तु त्रुटिवश उसके वेतन का निर्धारण ₹1,150/- के स्थान पर दिनांक 01/01/1986 से ₹1,200/- कर दिया गया। इस त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता ने अधिक वेतन का लाभ प्राप्त किया, जिसका वह अधिकारी नहीं था, तथा इसी कारण समय-समय पर अंतिम वेतन निर्धारण होते रहने पर, याचिकाकर्ता का वेतन संशोधित वेतनमान के उच्च स्तर पर निर्धारित किया जाता रहा और इस प्रकार वर्ष 1986 से लेकर उसकी सेवानिवृत्ति वर्ष 2010 तक वह अधिक वेतन प्राप्त करता रहा। अतः इन परिस्थितियों में वसूली न्यायोचित एवं विधिसंगत है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ वित्त संहिता, खंड-I के नियम 57 एवं 59 के अनुसार, किसी लोक सेवक को किया गया प्रत्येक अधिक भुगतान वसूल

किए जाने के लिए दायित्वहीन है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वेतन निर्धारण के समय याचिकाकर्ता ने उसे किए गए अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में वचनबंध प्रस्तुत किया था। अतः ऐसा वचनबंध देने के पश्चात, याचिकाकर्ता अधिक भुगतान की वसूली से इंकार नहीं कर सकता। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सेवानिवृत्ति के समय भी याचिकाकर्ता ने यह वचनबंध दिया था कि राज्य शासन द्वारा किया गया अधिक भुगतान वसूल योग्य होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 65 के अनुसार, समस्त अधिक भुगतान वसूल योग्य एवं समायोज्य है।

6. वर्तमान प्रकरण का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता का वेतन दिनांक 01/01/1986 से वेतन निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। यह किसी का भी प्रकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता ने ₹1,200/- वेतन प्राप्त करने हेतु दिनांक 01/01/1986 से किसी प्रकार का कपट किया हो अथवा दुर्व्यपदेशन किया हो। यह भी निर्विवाद तथ्य है कि वर्ष 1986 से लेकर उसकी सेवानिवृत्ति अर्थात् 24 वर्षों की अवधि तक, याचिकाकर्ता को किए गए अधिक भुगतान के संबंध में किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। याचिकाकर्ता एक शासकीय विद्यालय में कार्यरत अल्प वेतनभोगी सहायक शिक्षक था। यह केवल उसकी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पश्चात हुआ कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने यह घोषित करने के लिए जागरूकता दिखाई कि वर्ष 1986 से याचिकाकर्ता को जो भी भुगतान किया जा रहा था, वह वास्तविक रूप से देय एवं भुगतान योग्य राशि से अधिक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यद्यपि यह मान भी लिया जाए कि वर्ष 1986 में वेतन निर्धारण करते समय याचिकाकर्ता के वेतन के निर्धारण में कुछ त्रुटि हुई थी, तथापि अभिलेख पर ऐसा कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उक्त त्रुटि उत्तरवादी की ओर से किसी कृत्य या चूक के कारण हुई थी। यह सर्वविदित है कि वेतन का निर्धारण वेतन निर्धारण के गणना सूत्र पर आधारित होता है। अतः यदि वेतन निर्धारण उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा, याचिकाकर्ता के किसी विशेष दावा के बिना किया जाता है, तो इस संबंध में यह मानना एक शासकीय सेवक के लिए युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण होगा कि उसका वेतन निर्धारण उचित एवं विधिसंगत है और यदि उक्त वेतन निर्धारण स्वीकार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वेतन प्राप्त किया जाता है, तो यह एक सद्भावनापूर्ण विश्वास का मामला होगा कि उसे वही भुगतान किया जा रहा है जो उसके लिए देय है। 24 वर्षों तक, अर्थात् वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 2010 में सेवानिवृत्ति तक, उत्तरवादीगण याचिकाकर्ता को वर्ष 1986 में किए गए वेतन निर्धारण के आधार पर वेतन का भुगतान करते रहे, जो समय-समय पर विभिन्न वेतन संशोधनों के अंतर्गत संशोधित होता रहा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने 24 वर्षों तक बिना किसी प्रकार की आपत्ति के वेतन प्राप्त किया। यह उल्लेखनीय है कि ऐसा भुगतान

याचिकाकर्ता के किसी दावा के आधार पर नहीं, बल्कि उत्तरवादीगण द्वारा किए गए वेतन निर्धारण के आधार पर किया गया था।इस प्रकार, 24 वर्ष से उसकी सेवानिवृत्ति तक, याचिकाकर्ता निरंतर अधिक वेतन प्राप्त करता रहा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसा भुगतान याचिकाकर्ता के किसी दावा के आधार पर नहीं, बल्कि उत्तरवादीगण द्वारा किए गए वेतन निर्धारण के आधार पर किया गया था। वर्तमान प्रकरण, इस प्रकार, एक असाधारण प्रकृति का है, जिसमें एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात वसूली का आदेश दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उससे जो राशि वसूल की जानी प्रस्तावित है, वह कोई अल्प राशि नहीं, बल्कि ₹2,24,899/- की एक बड़ी राशि है। एक सहायक शिक्षक से उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात वसूली वस्तुतः उस वित्तीय लाभ के महत्वपूर्ण भाग को समाप्त करने के समान है, जिसका उस पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

8. **सईद अब्दुल क़ादिर बनाम बिहार राज्य, 2009 (3) एस सी सी 475**, के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में अपने पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करते हुए, निम्नानुसार प्रतिपादित किया-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"58.** वसूली के विरुद्ध अनुरोध न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों के किसी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि समता के आधार पर, न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, इस दृष्टि से प्रदान की जाती है कि यदि वसूली का आदेश दिया जाए तो कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई से उन्हें राहत दी जा सके। किन्तु, यदि किसी मामले में यह सिद्ध हो जाता है कि कर्मचारी को यह ज्ञान था कि उसे प्राप्त किया गया भुगतान देय से अधिक है अथवा गलत रूप से किया गया है, अथवा ऐसे मामलों में जहाँ त्रुटि का पता अल्प अवधि में चल जाता है या उसे सुधार लिया जाता है, तब, विषय न्यायिक विवेक के क्षेत्र में होने के कारण, न्यायालय प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश दे सकते हैं | देखें- *साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य 1995 सप्लि (1) एस सी सी 18, श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ (1994) 2 एस सी सी 521, भारत संघ बनाम एम. भास्कर (1996) 4 एस सी सी 416, वी. गंगाराम बनाम निदेशक (1997) 6 एस सी सी 139, कर्नल बी.जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार (2006) 11 एस सी सी 709, पुरषोत्तम लाल दास बनाम बिहार राज्य (2006) 11 एस सी सी 492, पंजाब नेशनल बैंक*

बनाम मंजीत सिंह (2006) 8 एस सी सी 647 और बिहार एसईबी बनाम बिजय बहादुर (2000) 10 एस सी सी 99" |

9. हाल ही में **<u>चंडी प्रसाद उनियाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य 2012 (8) एस सी सी 417</u>**, के प्रकरण में, विधिक सिद्धांत का पुनः परीक्षण किया गया। इसमें निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया गया-

> **"8.** अधिवक्तागणों में उद्धृत विभिन्न निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस न्यायालय ने ऐसा कोई विधिक सिद्धांत स्थापित नहीं किया है कि केवल तभी, जब धन प्राप्त करने वाले की ओर से अधिक वेतन प्राप्त करने में दुव्यर्पदेशन या कपट सिद्ध हो, तभी गलत/अनियमित वेतन निर्धारण के कारण दिए गए अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है।
>
> **13.** हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णयों में यह कोई विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि केवल तब ही वसूली संभव है जब राज्य या उसके अधिकारी यह स्थापित करें कि अधिक भुगतान प्राप्त करने वालों की ओर से दुव्यर्पदेशन या कपट किया गया था। इसके विपरीत, पूर्व में उल्लिखित अधिकांश प्रकरण अपने-अपने विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित थे, विशेषतः जहाँ प्राप्तकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके थे अथवा सेवानिवृत्ति के निकट थे या प्रशासनिक पदानुक्रम में निम्न पदों पर कार्यरत थे।
>
> **14.** हम सार्वजनिक धन के अधिक भुगतान से संबंधित हैं, जिसे प्रायः "करदाताओं का धन" कहा जाता है, जो न तो अधिक भुगतान करने वाले अधिकारियों का होता है और न ही प्राप्तकर्ताओं का। हम यह नहीं समझ पाते कि ऐसे मामलों में कपट या दुव्यर्पदेशन की अवधारणा क्यों लाई जा रही है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अधिक धन का भुगतान हुआ है या नहीं, चाहे वह सद्भावनापूर्ण त्रुटि के कारण ही क्यों न हुआ हो। संभव है कि शासकीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन का अधिक भुगतान विभिन्न कारणों से हुआ हो, जैसे लापरवाही, असावधानी, मिलीभगत, पक्षपात आदि, क्योंकि ऐसी स्थिति में धन न तो भुगतान करने वाले का होता है और न ही प्राप्त करने वाले का। ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ भुगतान करने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों ही दोषी हों, तब त्रुटि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पारस्परिक होती है। अनेक स्थितियों में भुगतान विधि के किसी प्राधिकार के बिना किया जाता है तथा प्राप्तकर्ताओं द्वारा भी विधि के किसी प्राधिकार के बिना प्राप्त किया जाता है। विधि के प्राधिकार के बिना किया गया या प्राप्त किया गया कोई भी भुगतान, कुछ अत्यधिक कठिनाई के अपवादों को छोड़कर, सदैव वसूल किया जा सकता है, किन्तु यह अधिकार के रूप में नहीं होता; ऐसी परिस्थितियों में विधि प्राप्तकर्ता पर राशि वापस करने का दायित्व आरोपित करती है, अन्यथा यह अन्यायपूर्ण समृद्धि होगा।

15. अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सईद अब्दुल क़ादिर (पूर्व) तथा कर्नल बी.जे. अक्कारा (पूर्व), में इंगित कुछ अपवादों को छोड़कर, गलत/अनियमित वेतन निर्धारण के कारण किए गए अधिक भुगतान की वसूली सदैव की जा सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस न्यायालय के विचार में, वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियाँ, उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इंगित असाधारण प्रकृति के प्रकरण को प्रतिपादित करती हैं, अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात सहायक शिक्षक से वसूली की अनुमति देना अन्यायपूर्ण होगा। यद्यपि उत्तरवादीगण ने अपने उत्तर में मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ वित्त संहिता, खंड-I के नियम 57 एवं 59 तथा याचिकाकर्ता द्वारा सेवानिवृत्ति तक दिए गए वचनबंधों का उल्लेख कर अपनी कार्यवाही का समर्थन किया है, तथापि मैं उन उपबंधों, नियमों आदि के आधार पर वसूली की कार्यवाही को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं हूँ। ऐसे नियम एवं उपबंध इस उद्देश्य के लिए होते हैं कि किसी शासकीय सेवक को किए गए ऐसे अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जा सके, जिसका वह अधिकारी नहीं है, बशर्ते कि कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाए। ऐसे नियम अथवा वचनबंध प्राधिकारियों को यह अधिकार नहीं देते कि वे किसी भी समय अथवा किसी भी परिस्थिति में वसूली कर सकें, जिससे वसूली की कार्यवाही अत्यंत अन्यायपूर्ण हो जाए। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, साथ ही यह तथ्य कि उसकी ओर से कोई कपट या दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया है तथा वसूल की जाने वाली राशि इतनी अधिक है कि यह वस्तुतः एक शिक्षक के सेवानिवृत्ति लाभों को समाप्त कर देती है, उत्तरवादीगण की कार्यवाही को न तो विधि में और न ही समता में स्थिर रखा जा सकता है। उचित यह होता कि त्रुटि का पता प्रारंभिक अवस्था में, वेतन निर्धारण के तुरंत पश्चात लगाया जाता और उसे सुधार लिया जाता; किन्तु यदि ऐसा नहीं किया गया और प्राधिकारी

इस विषय पर निष्क्रिय रहे, तो उत्तर में उल्लिखित उपबंध एवं नियम प्राधिकारियों के लिए इस प्रकार की वसूली का आदेश देने में सहायक नहीं हो सकते, विशेषकर 24 वर्षों के भुगतान के पश्चात तथा वह भी सेवानिवृत्ति के बाद, जब एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी को अत्यल्प पेंशन प्राप्त होती है, जिससे उसके लिए जीवनयापन करना तथा साथ ही अधिक राशि की वापसी करना अत्यंत कठिन हो जाता है। जैसा कि मैं पूर्व में उल्लेख कर चुका हूँ, वर्तमान प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में, इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

11. परिणामस्वरूप, उत्तरवादीगण की कार्यवाही तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध वसूली विधि में स्थिर नहीं रह सकती। अतः वसूली की कार्यवाही एवं आदेश को अवैध घोषित कर अपास्त किया जाता है। उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता से किसी भी प्रकार की वसूली करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई राशि वसूल की गई हो, तो उसे तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को वापस किया जाए। तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ANURAG AGRAWAL